कल्याण नगर, मेरठ
ई-मेल meerut.bsa@gmail.com

फोन नंबर 0121-2703 911
फैक्स नंबर 0121-2703 911

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ।

पत्रांक- प्रवन्ध / मान्यता / 333-37 **/ 2020 -21** **दिनांक:-** 06/09/2019

प्रवन्धक
अलेक्जेंडर पब्लिक स्कूल
वाजोट, मेरठ।

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश अलेक्जेंडर पब्लिक स्कूल,बाजोट ,मेरठ के शैक्षिक सत्र 2020- 21 से शैक्षिक सत्र 2022- 23 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम के अनतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना दी गई है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शब्दों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को (उपाबध 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबध 2)के उपबन्धो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या 25% तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा- 3 में नींद रस्टिक बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा ऐसी प्रतिभूतियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी पालक किया उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत ना होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा
III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

योगेंद्र कुमार
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।